

10.05.2023

वाद पुकारा गया। पुकार पर राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री प्रकाश सिंह भण्डारी उपस्थित आए।

अभियुक्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट अनुपस्थित। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह नेगी उपस्थित आए। उनके द्वारा अभियुक्त की आज की गैर हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र कागज संख्या-60ख पेश किया गया। अभियुक्त की गैर हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र आज के लिए स्वीकार किया गया। शामिल मिश्र हो।

अभियोजन द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या-61ख पेश कर कथन किया कि आज साक्षी उपस्थित नहीं है, साक्ष्य हेतु एक तिथि प्रदान करने की कृपा कर दी जाए। स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना। स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार। शामिल मिश्र हो।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 09.06.2023 को पेश हो। साक्षीगण को प्रोसेस जारी किये जाय।

(धनंजय चतुर्वेदी)
विशेष सत्र न्यायाधीश,
चमोली।